LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY , UTTAR PRADESH

VIPIN KHAND,GOMTINAGAR ,LUCKNOW

PERMIT TO BULD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY AREA-LUCKNOW

PRINT DATE :- 19/04/2017

APPLICATION NO: 52234

FILE NO : 06/EE/M.CELL/2016

WARD:

SCHEME : GOMTI NAGAR

PERMIT NO: 41379

SITE OF GROUP HOUSING

SECTOR : SECTOR 1

PROPERTY NO 1/8

NAME: INDIA INFRAHITECH PRIVATE LIMITED

Address: 3/395, VIRAM KHAND GOMTI NAGAR LUCKNOW

Sanction vide order dated **30/11/2016** of prescribed Authority permission to build granted as per sanctioned building plan enclosed subject the conditions mentioned on it and if noted below.

Date of Validity: **29/11/2021** **or expiry date of Lease deed whichever is earlier**

Restriction If Required: मानचित्र की शीट सं.. (1/6) के छत्र भाग पर चस्पा समस्त प्रतिबन्धों का पालन करना अनिवार्य है।

18.5.17

Signature of Competent Authority (BHAWAN)
Under the U.P. Urban Planning & Development Act. 1973

: प्रतिबन्ध :

- स्वीकृत समूह आवास भवन मानचित्र भू–स्वामित्व सम्बंधी अभिलेख का अंग नहीं माना जायेगा। भू–स्वामित्व सम्बंधी कोई वाद–विवाद होने अथवा उत्पन्न होने की दशा में दी गयी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
- स्थल पर निर्माण के समय स्वीकृति सम्बंधी समस्त विवरण अंकित करते हुये निर्धारित प्रारूप का एक बोर्ड लगाना होगा।
- भवन निर्माण में शासनादेशानुसार लेबर एक्ट तथा नेशनल बिल्डिंग सेफ्टी काउंसिल के प्राविधानों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- पार्किंग हेतु आरक्षित क्षेत्र पर किसी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नही होगा।
- स्ट्रक्चरल डिजाइन व स्पेसिफिकेशन के सम्बन्ध में समस्त जिम्मेदारी पक्ष की होगी।
- शासनादेश के अनुसार स्थल पर रेनवाटर हार्वेस्टिंग तथा एस0टी0पी0 का प्राविधान करना होगा।
- शासनादेश के अनुसार स्थल पर सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र का प्राविधान करना होगा।
- निर्माण पूर्ण करने के उपरान्त प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।
- समूह आवास मानचित्र स्थल पर शासनादेशानुसार वृक्षारोपण एवं लैण्ड स्केपिंग का प्राविधान करना होगा।
- मानचित्र का उपयोग केवल समूह आवास प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा।
- भविष्य में लखनऊ विकास प्राधिकरण या अन्य किसी भी विभाग की कोई देनदारी निकलती है, तो पक्ष द्वारा देय होगी।
- अपार्टमेण्ट एक्ट, रेरा तथा विभिन्न समय–समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- अग्नि शमन विभाग की अनापत्ति आख्या पर अंकित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
- आवेदक द्वारा समस्त सेवाओं की कनेक्टिविटी सम्बंधित विभागों से अपने व्यय पर लेनी होगी।
- भवन परिसर में दिव्यांग व्यक्तियों आवागमन हेतु अपेक्षित प्राविधान सुनिश्चित करना होगा।
- नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविधानों के अन्तर्गत ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य है।
- दिये गये शपथ पत्र के क्रम में लेबर सेस हेतु श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना होगा एवं नियमानुसार यथा समय लेबर सेस श्रम विभाग में जमा करना होगा। रजिस्ट्रेशन की प्रति ल0वि0प्रा0 में प्रस्तुत करनी होगी एवं समय–समय पर जमा किये गये लेबर सेस के चालान की प्रति प्राधिकरण में प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा मानचित्र की स्वीकृति निरस्त मानी जायेगी।
- बेसमेण्ट का निर्माण किसी अर्ह एवं दक्ष अभियंता के पर्यवेक्षण में कराना होगा।
- खनन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त निर्माण आरम्भ किया जायेगा।
- यदि मानचित्र एवं स्थल भूखण्ड के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार का तथ्य छिपाने का प्रमाण पाया जाता है, तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–15(9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी। भवन उपविधि-2016 के प्रस्तर सं०-3.1.1.9 के अनुसार प्रस्तावित भवन के कुल छतों क्षेत्रफल के न्यूनतम 25% रूफ टाप एरिया पर रूफ टाप सोलर फोटो वोल्टाइक पावर प्लान्ट की स्थापना करना अनिवार्य है।
- उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन करने पर उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।